न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 29ए/2024 G.C.M.S. No. 2024/120 दर्ज दिनांक : 15.05.2024

अपीलार्थी:

1. चम्पा पुत्री डाया
2. मंछा पुत्री डाया
3. राजाराम पुत्र वेला तमाम जातियान चौधरी, निवासी नयाराम, तहसील भाद्राजून, जिला जालोर

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. मकराराम पुत्र वेलाजी
2. जीवाराम पुत्र वेलाजी
3. गंगादेवी पुत्री वेलाजी
4. घीसीदेवी पत्नी वेलाजी

तमाम जातियान चौधरी, निवासी नयाराम, तहसील भाद्राजून, जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलेक्टर आहोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 24/2022 बअनवान मकराराम बनाम चम्पा में पारित आदेश दिनांक 15.09.2023 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री श्रवण सिंह सिसोदिया, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री जितेन्द्र चौधरी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट्स।

निर्णय

दिनांकः 29.05.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर आहोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 24/2022 बअनवान मकराराम बनाम चम्पा में पारित आदेश दिनांक 15.09.2023 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

हस्तगत प्रकरण में रेस्पोंडेन्ट मकराराम वगैरा ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर आहोर में दावा बाबत् खातेदारी हक की घोषणा व रिकॉर्ड दुरस्ती तथा स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया था। मौजा नयारामा के पुराना खसरा संख्या 188 मी. व खसरा नम्बर 300 मी. पुराने राजस्व रिकॉर्ड में मगना, वेला, सवा पिता मगा चौधरी निवासीगण नयारामा तहसील भाद्राजून, के नाम से दर्ज थी। उक्त आराजी कृषि भूमि में वादीगण/रेस्पोडेंट का 4/6 हिस्सा बंट में आता हैं। पुराने खसरा संख्या 188 मी. व खसरा नम्बर 300 मी. से वर्तमान

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

खसरा संख्या 366 रकबा 2.65 हैक्टेर किस्म नहरी प्रथम खसरा नम्बर 523 रकबा 7.16 हैक्टेर किस्म सेवज दोयम कुल रकबा 9.1800 हैक्टेर सृजित हुए। खसरा संख्या 366 रकबा 2.65 हैक्टेर किस्म नहरी प्रथम खसरा नम्बर 523 रकबा 7.16 हैक्टेर किस्म सेवज दोयम कुल रकबा 9.1800 हैक्टेर में वादीगण को 4/6 हिस्से के खातेदार घोषित करें शेष 2/6 हिस्से में प्रतिवादीगण का नाम रेकर्ड में यथावत रखा जावें तथा इसी मुताबिक रेकर्ड में दुरस्ती कर वादीगण को पुराने रिकॉर्ड के अनुसार वर्तमान रिकॉर्ड में खातेदारी घोषित करने की डिक्री वादीगण के पक्ष में फरमायी जावें। जिस पर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। वर्तमान खसरा संख्या 366 रकबा 2.65 हैक्टेर व खसरा संख्या 523 रकबा 7.16 हैक्टेर आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में अपीलाण्ट डाया व राजाराम का नाम दिनांक 24.12.1979 को दर्ज किया गया। जिस समय डाया व राजाराम का नाम दर्ज किया गया, उस समय रेस्पोडेन्ट घीसीदेवी का विवाह वेलाराम के साथ नहीं हो रखा था, ना ही मकराराम जीवाराम व गंगादेवी वेलाराम की संतान थी अर्थात दिनांक 24.12.1979 को वेलाराम का विवाह घीसीदेवी के साथ नहीं हो रखा था, जिस कारण रेस्पोंडेन्ट मकराराम, जीवाराम, गंगादेवी व घीसीदेवी का वेलारामजी के परिवार में कोई अस्तित्व नहीं था। इस कारण रेस्पोंडेन्ट मकराराम, जीवाराम, गंगादेवी व घीसीदेवी का नाम दिनांक 24.12.1979 में आना किसी भी सूरत में संभव नहीं था। इस बात को रेस्पोंडेन्ट ने अपने अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये गये वादपत्र में तथ्यों को छुपाते हुए न्यायालय को गुमराह करते हुए जो निर्णय व डिक्री दिनांक 15.09.2023 को प्राप्त की है अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोंडेंट चम्पा, मंछा व राजाराम को सुनवाई का अवसर नहीं देते हुए व जबाव तथा साक्ष्य बन्द करते हुए एक तरफा निर्णय व डिक्री दिनांक 15.09.2023 पारित की हैं। रेस्पोंडेंट चम्पा, मंछा व राजाराम को नोटिस तामिल हुए बिना जो निर्णय व डिक्री एकतरफा पारित की हैं। रेस्पोंडेंट चम्पा, मंछा व राजाराम को जवाब व साक्ष्य का अवसर देने हेतु निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.09.2023 खारिज कर पत्रावली पुनः सुनवाई हेतु रिमांड किया जाना न्यायोचित हैं। साक्ष्य वादी में सभी वादीगण मकराराम, जीवाराम, गंगादेवी, घीसीदेवी के बयान कलमबद्ध नहीं हुए हैं। अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज या गवाह पेश नहीं किया है, जिससे साबित होता हो कि दिनांक 24.12.1979 वेलाराम का विवाह घीसीदेवी के साथ हो रखा था। इस कारण भी निर्णय व डिक्री दिनांक 15.09.2023 काबिले खारिज है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने रेस्पोंडेंट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रस्तुत किया, जिसे

राजस्व अपील अधिकारी
पाली

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 15.09.2023 द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा उक्त अपील विलम्ब के साथ प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रकरण में सर्वप्रथम धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निर्णयन आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अपीलांट के विरूद्ध विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है, साथ ही प्रकरण में दीर्घ विलम्ब निहित नहीं है तथा विलम्ब अपीलांट की लापरवाही से होना साबित नहीं है। हमारे विनम्र मत में प्रकरण बतौर तकनीकी आधार पर निर्णित करने के बजाय गुणावगुण पर निर्णित किया जाना चाहिए। जिसके लिए उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर मिलना ही चाहिए। अतः विलंबकाल माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलांट अंदर स्याद शुमार की जाती हैं।

3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 द्वारा प्रतिवादीगण अपीलांट के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारो की घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 31.01.2022 को पंजीबद्ध किया गया। दिनांक 22.07.2022 को अपीलांट प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में प्रतिवादीगण को सम्मन किस दिनांक को जारी व प्रेषित किए गए का कोई अंकन नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध सम्मन के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट को पंजीकृत डाक से दिनांक 14.07.2022 को सम्मन जारी किया जाना व आगामी तारीख पेशी 22.07.2022 अंकित है लेकिन दिनांक 14.07.2022 को अधीनस्थ न्यायालय में तारीख पेशी नियत नहीं थी बल्कि दिनांक 22.02.2022 से दिनांक 22.07.2022 तक पीठासीन अधिकारी बाहर होने से तारीख मुतकिल किए जाने का अंकन है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायायल प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी नहीं किए गए। प्रकरण में वादीगण द्वारा न तो सम्मन से संबधित डाक डिलीवरी रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी एवं न ही अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका पर प्रतिवादीगण को पंजीकृत डाक से सम्मन प्रेषित किए जाने, सम्मन से संबधित एडी/पावती प्राप्त होने या नहीं होने का भी कोई अंकन नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण के विरूद्ध सम्यक तामिल होना कतई साबित नहीं होता है अतः स्पष्ट है कि प्रकरण में प्रतिवादीगण को जवाब/साक्ष्य एवं प्रतिरक्षा का कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिसम्मत नहीं मानी जा सकती।

4. अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण द्वारा वादपत्र में वांछित अनुतोष एवं इसे साबित करने के लिए प्रस्तुत साक्ष्य का संगत विधिक प्रावधानों के आधार पर किसी प्रकार का विवेचन नहीं किया एवं न ही अपने विनिश्चय का आधार व कारण अंकित किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त आराजीयात के भू–प्रबंध कार्यवाही के कारण गत खसरा संख्या एवं वर्तमान खसरा संख्या परिवर्तित होने के साथ भू–अभिलेखीय प्रविष्टियां भी परिवर्तित हुयी है। विद्वान विचारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

न्यायालय द्वारा मिलान क्षेत्रफल एवं अन्य साक्ष्य के आधार पर कोई तुलनात्मक विवेचन एवं विनिश्चय नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री काबिल अपास्त है।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारे विनम्र मत में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टियोग्य नहीं होने व अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर आहोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 24/2022 बअनवान मकराराम बनाम चम्पा में पारित आदेश दिनांक 15.09.2023 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 व 20 में विहित आज्ञापक विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों का समुचित अनुपालन करते हुए प्रतिवादीगण को जवाबदावा प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए, प्रकरण में विवाद्यक कायम कर उभयपक्षकारान को साक्ष्य व प्रतिरक्षा का पर्याप्त अवसर देते हुए विवाद्यकवार विवेचन व सकारण निर्णयन करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावे। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 20.07.2026 को न्यायालय सहायक कलक्टर आहोर में असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। पत्रावलियां इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली